



सत्यमेव जयते

**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**  
**National Commission for Scheduled Tribes**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. NCST/SER-535/DL/23/2022-SSW

Dated: - 01.07.2024

सेवा में,

Shri Rambabu Ch  
Chief Executive Officer  
AI Airport Services Limited (AIASL)  
2nd Floor, GSD Building, Air India Complex,  
Terminal-2, IGI Airport, New Delhi-110037  
Email:- [ceo.aiasl@aiasl.in](mailto:ceo.aiasl@aiasl.in)

विषय: एयर इन्डिया के अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ उत्पीडन एवं पी.एफ तथा पेशान जारी न करने के संबंध में -सुश्री लता रानी शहरावत, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव महिला विंग, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली दिनांक 16.08.2022 का अभ्यावेदन।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर, डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 07.06.2024 को 2:20 बजे, NCST, नई दिल्ली में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

अतः आप से निवेदन है कि सिटिंग की संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट को पत्र प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसे माननीय सदस्या के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,

(आर.एस.मिश्र / R.S. Misra)

अनुसंधान अधिकारी / Research Officer

Tel:-011-24641640

प्रतिलिपि :-

Smt. Prakash Devi  
Village- Khedli,  
Near Piloda Railway Station  
Tehsil - Bajirpur,  
District- Sawai Madhopur-322205 (Rajasthan)  
Phone no. – 7610933006

Copy for information

1. PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra), NCST.
2. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.